COASTAL ZONE MANAGEMENT AUTHORITY,
DAMAN & DIU

O/O THE POLLUTION CONTROL COMMITTEE,
DD & DNH,
1ST FLOOR, UDYOG BHAWAN,
BHENSLORE, NANI DAMAN -396210.

Phone : 0260-2262524/2260974/2260804(Fax)/ **E-mail : mspcc_dmn@pccdaman.info**

No. PCC/DDCZMA/CRZ/2019/2018-19/ Dated :- 15/02/2019.
25/memsecpcc/2019

Sub : CRZ Notification – reg.

With reference to the above cited subject please find enclosed herewith the a copy of Notification No G. S. R. 37(E) dated 18/01/2019 regarding Coastal Regulation Zone (CRZ) from the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, New Delhi with a request to display on the official portal of Administration of Daman & Diu on web page of Coastal Zone Management Authority.

(Sandeep Kumar Singh)
Member Secretary,
DDCZMA,
Daman.

To,
The State Informatics Officer
NIC, Daman.

Copy to the Chairman, DDCZMA, Daman for kind information please.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 18, 2019/पौष 28, 1940
No. 36] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 18, 2019/PAUSHA 28, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2019

सा.का.नि. **37(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय, की अधिसूचना संख्या का.आ. 19 (अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 कहा गया है) द्वारा तटीय क्षेत्रों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अधीन कतिपय तटीय विनियमन क्षेत्र (जिसे इसमें इसके पश्चात सीआरजेड कहा गया है) के रूप में घोषित किया था;

और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को समुद्री तथा तटीय पारितंत्रों के प्रबंधन और संरक्षण, तटीय क्षेत्रों में विकास, पारि-पर्यटन, तटीय क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों की जीविका के विकल्पों तथा वहनीय विकास आदि के संबंध में तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 में कतिपय उपबंधों के बारे में अन्य पणधारियों के अतिरिक्त, विभिन्न तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

और विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और पणधारियों ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 के संदर्भ में तटीय पर्यावरण और वहनीय विकास से संबंधित चिंताओं का निराकरण करने का अनुरोध किया है;

और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 के संबंध में विभिन्न मुद्दों तथा तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों और पणधारियों की चिंताओं की जांच करने और उक्त अधिसूचना में समुचित परिवर्तन किए जाने की सिफारिश करने के लिए डॉ. शैलेश नायक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था;

और मंत्रालय में डॉ. शैलेश नायक द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की जांच की गई है और इस संबंध में विभिन्न पणधारियों के साथ परामर्श किए गए हैं;

और सभी संबंधितों से टिप्पणियों और सुझावों की ईप्सा से प्रारूप तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2018 जारी की गई थी और उसे तारीख 18 अप्रैल, 2018 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन की वेबसाईट पर डाला गया था;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा उपर्युक्त उल्लिखित प्रारूप तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2018 की प्रतिक्रिया में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है;

अत: अब केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तटीय विनियमन जोन अधिसूचना 2011 संख्यांक का. आ. 19 (अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया था या करने का लोप किया गया था, के तटीय क्षेत्रों के मछुआरा समुदायों और अन्य स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा और प्राकृतिक जोखिमों, ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र स्तर में वृद्धि के खतरों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित सतत विकास को बढ़ावा देने के अतिरिक्त, तटीय खंडों और समुद्री क्षेत्रों के अद्वितीय पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा के उद्देश्य से अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप तथा इन द्वीपसमूहों के आस-पास के समुद्री क्षेत्रों को छोड़कर देश के तटीय खंडों और उसकी राज्यक्षेत्रीय सागर खंड को निम्नानुसार तटीय विनियमन जोन के रूप में घोषित करती है:-

(i) उच्च ज्वार रेखा (इसमें इसके पश्चात् एचटीएल के रूप में कहा गया है) से लेकर समुद्र की ओर अभिमुख 500 मीटर का भू-क्षेत्र ।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए एचटीएल से भूमि पर ऐसी रेखा अभिप्रेत है जहां तक उत्पन्न होने वाले ज्वार के दौरान उच्चतम जल रेखा पहुंचती है, जैसाकि निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केन्द्र (एनसीएससीएम) द्वारा सीमांकित और विभिन्न तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध कराया गया है।

(ii) सीआरजेड उन भू-क्षेत्रों पर लागू होगा जो एचटीएल से लेकर 50 मीटर या क्रीक की चौड़ाई जो भी कम हो, ज्वार से प्रभावित जल निकायों, जो कि समुद्र से जुड़े हुए हैं, के मध्य स्थित वह दूरी जहां तक ज्वार से प्रभावित जल निकायों के आस-पास विकासात्मक कार्यकलापों को विनियमित किया जाना है और इस दूरी का निर्धारण वर्ष की शुष्क अवधि में लवणीयता की मात्रा को पांच भाग प्रति हजार (पीपीटी) को आधार मानकर किया जाएगा तथा ज्वार से प्रभावित होने वाली दूरी को तटीय जोन प्रबंधन योजनाओं (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीजेडएमपी के रूप में कहा गया है) के अनुसार अभिज्ञात करके उसका निर्धारण किया जाएगा।

परन्तु, 50 मीटर की सीआरजेड सीमा या क्रीक की चौड़ाई, इनमें से जो भी कम हो, इस अधिसूचना, जिसे उचित परामर्शी प्रक्रिया/जनसुनवाई इत्यादि के साथ विरचित किया गया है, के अनुसार संबंधित सीजेडएमपी के संशोधन तथा अन्तिम अनुमोदन और इसमें सूचीबद्ध पर्यावरणीय सुरक्षोपायों के अध्यधीन होगी और इस अधिसूचना की सीजेडएमपी का अनुमोदन होने तक, 100 मीटर या क्रीक की चौड़ाई की सीमा जो भी कम हो, लागू होगी।

स्पष्टीकरण :- इस उप पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ ज्वार प्रभावित जल निकायों से खाड़ी, नदी मुहाना, नदी, क्रीक, बैकवाटर, लेगून और तालाब इत्यादि जो समुद्र से मिले हुए हों, में समुद्र से ज्वारीय प्रभावों से प्रभावित जल निकाय अभिप्रेत है।

(iii) एचटीएल तथा निम्न ज्वारीय रेखा (जिसे इसमें इसके पश्चात् एलटीएल के रूप में कहा गया है) के मध्य स्थित अन्तर ज्वारीय क्षेत्र अर्थात भूमि क्षेत्र अभिप्रेत है।

(iv) ज्वार से प्रभावित जल निकायों के लिए समुद्र और जल के मामले में एलटीएल और क्षेत्रीय जल सीमा (12 समुद्री मील) के मध्य स्थित भू-क्षेत्र और किनारे की विपरीत दिशा में एलटीएल से किनारे पर एलटीएल के बीच के क्षेत्र

2. **सीआरजेड का वर्गीकरण –** तटीय क्षेत्रों और समुद्री जल के संरक्षण और सुरक्षा के प्रयोजनार्थ सीआरजेड क्षेत्र को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात् :-

2.1 **सीआरजेड -I** क्षेत्र पर्यावरण की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील हैं और इन्हें निम्नानुसार और वर्गीकृत किया जाएगा:

2.1.1-सीआरजेड-I क:

(क) सीआरजेड-I क में पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील (ईएसए) और भू-आकृति की विशेषताओं वाले निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित होंगे, जो तट की अखंडता को बरकरार रखने में भूमिका निभाते हैं अर्थात्:

(i) कच्छ वनस्पति । यदि कच्छ वनस्पति क्षेत्र 1000 वर्ग मीटर से अधिक है तो कच्छ वनस्पति के किनारे 50 मीटर के क्षेत्र को बफर क्षेत्र के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा और ऐसे क्षेत्र में सीआरजेड-Iक भी सम्मिलित होगा।

(ii) प्रवाल और प्रवाल भित्ति;

(iii) बालू के टीले;

(iv) जैविक रूप से सक्रिय नमभूमि (मडफ्लैट);

(v) जैवमंडल रिजर्वों सहित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों के अधीन राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री पार्क, अभयारण्य, रिजर्व वन, वन्यजीव पर्यावास और अन्य संरक्षित क्षेत्र;

(vi) नमकीन दलदल;

(vii) कछुआ प्रजनन स्थल;

(viii) हॉर्स शू केकड़े का पर्यावास;

(ix) समुद्री घास का मैदान;

(x) पक्षियों के प्रजनन का स्थान;

(xi) पुरातात्विक महत्व के क्षेत्र या संरचनाएं और धरोहर स्थल ।

(ख) इस अधिसूचना के उपाबंध-I में यथाअंतर्विष्ट और सीजेडएमपी में एकीकृत मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केन्द्र (एनसीएससीएम) द्वारा यथा मानचित्रित संबंधित क्षेत्रों में ऐसे पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा एक विस्तृत पर्यावरण प्रबंधन योजना बनाई जाएगी।

2.1.2 सीआरजेड-I ख:

अन्तरज्वारीय क्षेत्र अर्थात् निम्न ज्वार रेखा और उच्च ज्वार रेखा के बीच का क्षेत्र सीआरजेड-Iख में सम्मिलित होगा ।

2.2 सीआरजेड-II:

सीआरजेड-II में विद्यमान नगरीय सीमाओं या अन्य विद्यमान विधिक रूप से अधिकृत शहरी क्षेत्रों जो बिल्टअप प्लॉटों से 50 प्रतिशत से अधिक होते हुए कुल प्लॉटों के अनुपात के साथ पर्याप्त बिल्टअप हों और जहां ड्रेनेज तथा सम्पर्क सड़कों और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं जैसे जलापूर्ति और सीवरेज मेन इत्यादि की व्यवस्था की गई हो, के अन्दर तटरेखा तक या इसके समीप विकसित भूमि क्षेत्र सम्मिलित होंगे।

2.3 सीआरजेड-III:

ऐसे भूमि क्षेत्र जो अपेक्षाकृत अहस्तक्षेपित (अर्थात ग्रामीण क्षेत्र इत्यादि) हैं और जो सीआरजेड-II के अन्तर्गत नहीं आते हैं, सीआरजेड-III में सम्मिलित होंगे और सीआरजेड-III को आगे निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा:-

2.3.1 सीआरजेड-III क:

ऐसी घनी आबादी वाले सीआरजेड-III क्षेत्र, जहां 2011 जनगणना आधार के अनुसार जनसंख्या घनत्व प्रतिवर्ग किलोमीटर 2161 से अधिक हो, उन्हें सीआरजेड-III.क के रूप में नामित किया जाएगा और सीआरजेड-III.क में, भूमि की ओर वाले भाग पर एचटीएल से 50 मीटर तक के क्षेत्र को 'नो डेवलपमेंट जोन (एनडीजेड)' के रूप में निर्धारित किया जाएगा, परन्तु इस अधिसूचना के अनुसार सीजेडएमपी जिसे उचित परामर्शी प्रक्रिया के साथ तैयार किया गया हो, को अनुमोदित किया गया है जिसके न होने पर 200 मीटर का 'नो डेवलपमेंट जोन' लागू रहेगा।

2.3.2 सीआरजेड-III ख:

वर्ष 2011 जनगणना आधार के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर 2161 से कम जनसंख्या घनत्व वाले सभी अन्य सीआरजेड-III क्षेत्र सीआरजेड-III.ख के रूप में अभिहित किए जाएंगे और सीआरजेड-III.ख में, भूमि की ओर वाले भाग पर एचटीएल से 200 मीटर तक के क्षेत्र को 'नो डेवलपमेंट जोन (एनडीजेड)' के रूप में निर्धारित किया जाएगा।